<u>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(3) के अंतर्गत तिमाही रिपोर्ट (31 मार्च, 2012 को समाप्त तिमाही (01.01.2012 से 31.03.2012 तक)</u>

(क)	प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त अनुरोधों की संख्या	480
(ख)	ऐसे निर्णयों की संख्या जिनमें आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों को प्राप्त करने के हकदार नहीं थे, अधिनियम के वे उपबंध जिनके अंतर्गत ये निर्णय किए गए और कितनी बार ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया	शून्य
(ग)	केन्द्रीय सूचना आयोग को समीक्षा के लिए संदर्भित अपीलों की संख्या, अपीलों का स्वरूप और अपीलों के परिणाम	15 [15 में से 2 मामलों में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को अपना स्पष्टीकरण भेजने का निदेश दिया गया है। 1 मामले में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को सूचना उपलब्ध करवाने का निदेश हुआ है और 11 मामले मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा अस्वीकृत किए गए हैं। 1 मामला प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, भारत निर्वाचना आयोग के समक्ष प्रतिप्रेषित है।]
(घ)	इस अधिनियम के प्रशासन के संदर्भ में किसी अधिकारी के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण	शून्य
(ड.)	इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा संग्रहित प्रभारों की धनराशि	**10024/- रूपए**
(च)	इसकी मूल भावना के अनुरूप कार्रवाई करने और क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा किए गए प्रयासों को दर्शाने वाले विवरण	आवेदन के निपटान की निरंतर रूप से जॉच की जा रही है।
(छ)	सुधार के लिए उपयुक्त सुझाव। सुझाव में वे भी सम्मिलित होंगे जो अधिनियम में संशोधन के लिए साधारण विधि के अन्य विधायन या सूचना के प्रति अभिगम्यता के अधिकार को कार्य-रूप देने से सुसंगत कोई अन्य मामले के विकास, बेहतरी, आधुनिकीकरण, सुधार के लिए अपेक्षित हों।	शून्य

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
सचिव
एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी